

(9)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक-01.10.2021

दमा नम्बर :- 101/2021

1. निवास पुत्र चुन्ना
2. रामदेव पुत्र चुन्ना
3. हरीराम पुत्र चुन्ना
4. बनवारी पुत्र मोहन
5. मदन पुत्र मोहन
6. हरफूल पुत्र मोहन

समस्त जाति जाट निवासीगण देवा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज0।

- वादीगण

बनाम

भूमिधारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

-प्रतिवादी

वकील वादीगण : श्री जयपालसिंह
वकील प्रतिवादी : राजपैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ नक्शा दुरुस्तीकरण
अधारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 12.04.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम देवा की ढाणी के स्थाई निवासी है। वादीगण 1 लगायत 3 की कृषि भूमि नया खाता सं. 113 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर व इसी ग्राम देवा की ढाणी में वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 की कृषि भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि को बंटवारे के अनुसार मौके पर जो राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा बनाया वह नक्शा गलत होने के कारण वाद-पत्र के साथ एक नजरी नक्शा वादीगण की तरफ से पेश किया है जिसको "ए" मार्क से दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा "ए" मार्क से प्रदर्शित व अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त करवाने के लिये तथा घोषणार्थ उक्त वाद श्रीमान्जी की सेवामें में पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि वादीगण के आपस में मौके पर बंटवारे का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, परन्तु बंटवारे के अनुसार नक्शे में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलती हो गई, उस गलती को सुधार करने हेतु नजरी नक्शे में प्रदर्शित ए मार्क के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए वादीगण आपस में राजीरजा है, किसी प्रकार का कोई विवाद, लडाई झगडा नहीं है, अतः उक्त राजस्व रिकॉर्ड में जो नक्शा चल रहा है, उसको दुरुस्त किया जाकर वाद-पत्र के संलग्न साथ नजरी नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। जिसके कारण मौके पर आगे चलकर किसी प्रकार का आपस में भाईयों में कोई वाद विवाद व लडाई झगडा नहीं हो।

५

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

9

कि उक्त वाद के लिये वादकारण दिनांक 27.09.2021 को जब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की अपनी भूमि के सम्पूर्ण नक्शे की नकल प्राप्त की तब वादी को वास्तविक स्थिति का पता चला कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में गलत दर्शाया है, के रोज से लेकर आज तक श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण तथा वादग्रस्त गलत नक्शा रिकॉर्ड श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में है, इसलिये श्रीमान्जी को उक्त वाद सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादीगण द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद बहक वादीगण खलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय का नक्शा दुरुस्तीकरण राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे कि वादीगण नं. 1 लगायत 3 की कृषि भूमि नया खाता सं० 113 पुराना 95 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर व इसी ग्राम देवा की ढाणी में वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 की कृषि भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि को बंटवारे अनुसार मौके पर जो राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा बनाया वह नक्शा गलत होने के कारण वाद-पत्र के साथ एक नजरी नक्शा वादीगण की तरफ से पेश किया गया है जिसको "ए" मार्क से दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा "ए" मार्क से प्रदर्शित के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी नं० 1 को नक्शा दुरुस्ती के लिये आदेशित किया जावे। इस आशय की घोषणा की जावे।

वादीगण द्वारा वाद-पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार उपस्थित आये तथा जवाब दावा पेश किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2075-2078 में भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर की खातेदारी बनवारी, मदन, हरफूल पिता मोहन जाति जाट रिन बदस्तुर जमाबंदी के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि नया खाता सं. 113 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर की खातेदारी रामदेवाराम, रामनिवास, हरिराम, पिता चुना जाति जाट रहन बदस्तुर जमा. के नाम दर्ज रिकार्ड हे। तथा खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.13 हैक्टर की खातेदारी चन्दा देवी, जोगेश्वरी, बनवारी, हरफूल, रामप्यारी, सुनिता, मदन वारिसान मोहन हिस्सा 1/2, निवासी, रामदेव, हरीराम पिता चुना हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम के दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर की खातेदारी विभाजन से पूर्व चुना, मोहन पिता नाराणा जाति जाट दर्ज रिकार्ड थी तगी विभाजन से पूर्व खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 431 रकबा 3.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 3.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 8.76 किता 6 कुल रकबा 15.98 थे। उक्त खातेदारों द्वारा सहमति विभाजन कार्यालय नवलगढ आदेश क्रमांक/भूअ./57 दिनांक 14.01.2007 द्वारा खाता विभाजन करवाया गया।

यह है कि खाता विभाजन करते समय नक्शा में लाल स्याही से तरमीम की गई। उक्त तरमीम सेग्रीगेशन व डिजीटल नक्शे में Online तरमीम करते समय खसरा नम्बर 431 की पूर्वी सीम की तरमीम गलत दर्ज हो गई। शेष विभाजित खसरों की तरमीम सहमति विभाजन में सलंगन नक्शे के अनुसार ही है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वर्तमान में विभाजित खसरा की सीमा मौके पर नक्शे अनुसार नहीं है। मौके अनुसार नक्शे में सीमा बचाकर नक्शा संलग्न है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर शहादत ली गई। शहादत में वादी निवास पुत्र चुन्ना जाति जाट निवासी की ढाणी उपस्थित हो अपने चीफ के शपथ पत्र पेश किये तथा अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेज नक्शा ट्रेज प्रदर्श- 1, नकल जमाबंदी खाता संख्या 147 सम्वत् 2075-2078 प्रदर्श-2 प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम देवा की ढाणी की सरहद में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2075-2078 में भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर की खातेदारी बनवारी, मदन, हरफूल पिता मोहन जाति जाट रिन बदस्तुर जमाबंदी के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि नया खाता सं. 113 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर की खातेदारी रामदेवाराम, रामनिवास, हरिराम, पिता चुना जाति जाट रहन बदस्तुर जमा. के नाम दर्ज रिकार्ड है जो तथा खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.13 हैक्टर की खातेदारी चन्दा देवी, जोगेश्वरी, बनवारी, हरफूल, रामप्यारी, सुनिता, मदन वारिसान मोहन हिस्सा 1/2, निवासी, रामदेव, हरिराम पिता चुना हिस्सा 1/2 जाति जाट के नाम के दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबंदी 2075-2078 जो प्रदर्श-2 सिद्ध होती है। वर्णित खसरा नम्बर की खातेदारी विभाजन से पूर्व चुना, मोहन पिता नाराणा जाति जाट दर्ज रिकार्ड थी तथा विभाजन से पूर्व खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 431 रकबा 3.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 3.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 8.76 किता 6 कुल रकबा 15.98 थे। खातेदारों द्वारा सहमति विभाजन तहसील कार्यालय नवलगढ में खाता विभाजन करवाया गया जिसकी नक्शा में लाल स्याही से तरमीम की गई थी जो सेग्रीगेशन व डिजिटल नक्शे में Online तरमीम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नम्बर 431 की पूर्वी सीमा की तरमीम गलत दर्ज कर दी गई शेष विभाजित खसरों की तरमीम सहमति विभाजन अनुसार यथावत रख दी गई।

वादीगण के मौके पर बंटवारे का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बंटवारे के अनुसार नक्शे में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम को सुधार करने हेतु नजरी नक्शे में प्रदर्शित ए मार्क के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए वादीगण आपस में राजीरजा है, किसी प्रकार का कोई विवाद, लडाईं झगडा नहीं है। इसलिये उक्त राजस्व रिकॉर्ड में जो नक्शा चल रहा है, को संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित प्रतीत होता है जिसको स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादीगण संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय को अभिन्न भाग रहेगा।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवा की ढाणी कृषि भूमि नया खाता सं० 113 पुराना 95 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर व इसी ग्राम देवा की ढाणी में वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 की कृषि भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर भूमि के संबंध

में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसको "ए" मार्क से दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा "ए" मार्क से प्रदर्शित के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करने तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)

राजकीय कलेक्टर (नवलगढ़-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला नवलगढ़

(12)

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ नक्शा दुरुस्तीकरण

मुकदमा सं०:- 101/2021 (निवासी आदि बनाम तहसीलदार नवलगढ)

डिक्री


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.04.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम देवा की ढाणी कृषि भूमि नया खाता सं० 113 पुराना 95 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1113/43 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114/444 रकबा 1.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.1400 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर व इसी ग्राम देवा की ढाणी में वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 की कृषि भूमि खाता सं. नया 147 पुराना 130 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1115/447 रकबा 2.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1117/447 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118/447 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 1.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 1.7100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 7.8200 हैक्टर भूमि के संबंध में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसको "ए" मार्क से दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा "ए" मार्क से प्रदर्शित के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.04.2022 को जारी की गई।


(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00



5680
6-4-22

मॉडेल अनुसार नजदी नम्बरा



जफर उजाल
प. चंड किलो

जफर उजाल
प. चंड किलो

ए. सी. ई. एम. (प. चंड.)
नवलगढ